

एनएफ-22/4/2026-प्रशा-एनएफआरए (i)

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

\*\*\*\*\*

7वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस,  
कस्त्रबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली  
दिनांक: 28 अप्रैल 2026

आदेश

**विषय: राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) में कार्यात्मक प्रभागों का सृजन**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 16.04.2026 को दायर आईए संख्या 334375/2025 के संबंध में शुरू हुई कार्यवाही के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 132 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 (नियम) के साथ पढ़े जाने पर प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस माननीय न्यायालय या किसी भी न्यायाधिकरण सहित किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी भी लंबित कार्यवाही में किसी भी अधिकार और दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, अंतरिम उपाय के रूप में, प्रस्तावित कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक, 2026 के संसद द्वारा पारित होने और उसके बाद बनाए गए नियमों/विनियमों तक या भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान बैच के मामलों के निपटारे की तिथि तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा निम्नलिखित कार्यात्मक प्रभागों का सृजन किया जाता है:

**(i) निगरानी एवं पर्यवेक्षण प्रभाग**

निगरानी एवं पर्यवेक्षण प्रभाग एनएफआरए नियमों के नियम 7, 8 और 9 के अंतर्गत कार्य करेगा तथा एनएफआरए नियमों के नियम 10 (1) में वर्णित मामलों की जांच करने का निर्णय लेने का कार्य भी करेगा। नियम 10 (1) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया कार्य पूरा होने पर, प्रभाग मामले को जांच के लिए जांच प्रभाग को अग्रेषित करेगा।

इस प्रभाग की अध्यक्षता पूर्णकालिक सदस्य सुश्री स्मिता झिंगरन करेंगी।

**(ii) जांच-पड़ताल प्रभाग**

जांच प्रभाग एनएफआरए नियमों के नियम 10 के अंतर्गत जांच और विधि के अनुसार जांच हेतु दस्तावेज/साक्ष्य एकत्र करने का कार्य करेगा।

इस प्रभाग की अध्यक्षता पूर्णकालिक सदस्य श्री पी. डेनियल करेंगे।

**(iii) निर्धारण प्रभाग**

निर्धारण प्रभाग एनएफआरए नियमों के नियम 11(1) के अधीन कार्यों का निर्वहन करेगा, जिसमें जांच निष्कर्षों पर विचार करना और यह निर्धारित करना शामिल है कि अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (4) के तहत अनुज्ञेय कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं या नहीं। यदि ऐसा है, तो यह प्रभाग मामले को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुशासनात्मक प्रभाग को भेजेगा।

इस प्रभाग की अध्यक्षता श्री सुशील कुमार जायसवाल, पूर्णकालिक सदस्य करेंगे।

**(iv) अनुशासनात्मक प्रभाग**

एनएफआरए नियमों के नियम 11(1), 11(2) से 11(8) के अधीन अनुशासनात्मक प्रभाग कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने, निर्णय लेने और अंतिम आदेश पारित करने का कार्य करेगा। इस प्रभाग की अध्यक्षता अध्यक्ष, एनएफआरए करेंगे।

## 2. संभावित स्थिति

यदि कार्यकारी निकाय (ईबी) का कोई सदस्य हितों के टकराव या लंबी छुट्टी, बीमारी, त्यागपत्र, कार्यकाल की समाप्ति आदि कारणों से अनुपलब्धता के चलते कार्य से विमुख हो जाता है, तो प्रभावित मामलों को कार्यकारी निकाय (ईबी) के किसी ऐसे सदस्य को सौंपा जाएगा जिसका हितों का टकराव न हो। ऐसे सभी आवंटन अध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे और सचिव, एनएफआरए के कार्यालय के माध्यम से समन्वित किए जाएंगे।

## 3. पूर्ण कार्यात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए:

(i) प्रत्येक प्रभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।

(ii) किसी एक प्रभाग में कार्यरत कोई भी सदस्य किसी दूसरे प्रभाग के किसी विशेष मामले में कार्य में भाग नहीं लेगा।


## 4. जनशक्ति में वृद्धि / रोटेशन

इन विभागों को आवंटित जनशक्ति में अध्यक्ष के निर्णयानुसार समय-समय पर वृद्धि / अदला-बदली की जाएगी, हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी विशेष प्रभाग में किसी विशेष मामले पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति उसी मामले पर किसी अन्य प्रभाग का हिस्सा न हो।

## 5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(संलग्न: एनएफआरए आदेश संख्या एनएफ-22/4/2026-स्था-एनएफआरए (i) दिनांक 28.04.2026)



सचिव, एनएफआरए

## प्रति:

1. एनएफएर के सभी अधिकारी

## प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, एनएफआरए के निजी सचिव
2. सुश्री स्मिता झिंगरन, एफटीएम, एनएफआरए के निजी सचिव
3. श्री पी. डेनियल, एफटीएम, एनएफआरए के निजी सचिव
4. श्री सुशील कुमार जायसवाल, एफटीएम, एनएफआरए के निजी सचिव
5. गार्ड फाइल।